भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

सं0 33/प्रेस क्लीपिंग/3/2013/आर.यू.–3

छठी मंजिल, 'बी'विंग, लोकनायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली–110003
6TH Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi–110003

दिनांक : 27–11–2013

सेवा में,

1. सचिव,
जनजातीय विकास कल्याण,
झारखण्ड सरकार,
रांची

2. श्री अनुराग गुप्ता,
पुलिस महानिरीक्षक,
(सीआईडी) झारखंड पुलिस,
रांची

3. जिला मजिस्ट्रेट,
गाजियाबाद
उत्तर प्रदेश

4. पुलिस अधीक्षक,
गाजियाबाद,
उत्तर प्रदेश

विषयः दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर के 10 जुलाई, 2013 के प्रकाशन में छपी लोहरदगा, झारखण्ड के अनुसूचित जनजाति की लड़की की मृत्यु के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के दिनांक 18.10.2013 को आयोग में हुई बैठक/सुनवाई के कार्यवृत्त की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

आपसे अनुरोध है कि कार्यवृत्त में उल्लेखित बिन्दुओं पर अनुपालनात्मक रिपोर्ट आयोग को 15 दिनों की अवधि में अग्रिम जांच हेतु भिजवाने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस.पी. मीणा)
सहायक निदेशक

संलग्नकः यथोपरि

प्रतिलिपि :

SSA NIC

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

सं0 33/प्रेस क्लीपिंग/3/2013/आर.यू.–3

दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर के 10 जुलाई, 2013 के प्रकाशन में छपी लोहरदगा के अनुसूचित जनजाति की लड़की की मृत्यु के संबंध में आयोग के माननीय अध्यक्ष डा0 रामेश्वर उरांव द्वारा दिनांक 18/10/2013 को झारखण्ड पुलिस तथा गाजियाबाद पुलिस प्रशासन के साथ की गयी चर्चा का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित उपस्थित :–

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. डा0 रामेश्वर उरांव, अध्यक्ष
2. श्री आदित्य मिश्रा, संयुक्त सचिव
3. श्रीमती के.डी. बन्सौर, उप निदेशक

झारखंड प्रशासन

1. श्री अनुराग गुप्ता, महानिरीक्षक पुलिस, अपराध अन्वेषण विभाग

उत्तर प्रदेश सरकार प्रशासन

1. श्री रामाभिलाष त्रिपाठी, अपर पुलिस अधीक्षक (अपराध) गाजियाबाद
2. श्री राकेश पाल सिंह, अतिरिक्त दंडाधिकारी (नगर) गाजियाबाद

पृष्ठभूमि

दैनिक भास्कर के 10 जुलाई 2013 के अंक में झारखंड के लोहरदगा के अनुसूचित जनजाति की लड़की की संदिग्ध हालत में मौत का समाचार प्रकाशित हुआ। संबंधित समाचार पत्र की कतरन से स्पष्ट हुआ है कि झारखण्ड से मानव देह–व्यापार के जरिये 1 साल पहले घरेलू कामकाज दिल्ली लायी गयी एक आदिवासी लड़की की मौत का मामला सामने आया

डा. रामेश्वर उरांव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली

है। 19 जून, 2013 की इस घटना को गाजियाबाद पुलिस और मालिक आत्महत्या का मामला बता रहे हैं। झारखण्ड पुलिस ने लड़की के परिजनों की शिकायत से यह मामला खुला। लड़की का पता नहीं लगने पर मां ने शिकायत की थी। घरेलू कामकाज करने 1 साल पहले झारखण्ड के लोहरदगा से दलालों के जरिए दिल्ली लायी गयी फूलमनी नागेशिया ने कथित तौर पर 19 जून को दिल्ली से सटे गाजियाबाद में इन्द्रापुरम थाने के कौसाम्बी में रेस्तरां चलाने वाले अनिल आहूजा के घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने उक्त घटना पर संज्ञान लेते हुए झारखण्ड सरकार के सचिव, जनजाति आयोग ने झारखण्ड सरकार के सचिव, जनजाति विकास विभाग, महानिरीक्षक पुलिस अपराध अन्वेषण विभाग व गाजियाबाद के जिला प्रशासन व पुलिस को इस संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने व अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत उपयुक्त कार्यवाही करने का निदेश दिया गया एवं आवश्यक कार्यवाही रिपोर्ट हेतु अनुरोध किया गया। मामले में सूचना न मिलने पर आयोग ने दो अनुस्मारक पत्र दिनांक 07/08/2013 व 17/09/2013 को भेजे। अनुस्मारक पत्र पर भी झारखण्ड व गाजियाबाद प्रशासन द्वारा कोई भी सूचना न प्राप्त होने पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने उक्त अधिकारियों को आयोग में कार्यवाही रिपोर्ट के साथ दिनांक 18/10/2013 को 13.00 बजे व्यक्तिगत रूप से चर्चा/बैठक में सम्मिलित होने के लिए सचिव, जनजातीय विकास/कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार, पुलिस महानिरीक्षक (सीआईडी), झारखण्ड पुलिस, जिला मजिस्ट्रेट गाजियाबाद तथा पुलिस अक्षीक्षक, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) को बुलाया।

चर्चा

महानिरीक्षक पुलिस (अपराध अन्वेषण विभाग), झारखण्ड पुलिस, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, गाजियाबाद तथा अपर पुलिस अधीक्षक अपराध गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) आयोग में उपस्थित हुए। मामले में स्वयं महानिरीक्षक पुलिस (अपराध अन्वेषण विभाग), झारखण्ड ने

डा. रामेश्वर उरांव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली

जानकारी दी कि जिला पुलिस की टीम तथा अपराध अनुसंधान विभाग के पुलिस पदाधिकारी द्वारा गाजियाबाद में जाकर जांच किया गया। जांच से मालूम हुआ कि संबंधित घटना के संबंध में गाजियाबाद जिला में भी इंदिरापुरम थाना कांड सं0 1265 दिनांक 20.07.2013 द्वारा 306 भा.द.विधान एवं 3(I)(X) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम विरूद्ध अभियुक्त शारदा आहूजा एवं उनके परिवार के विरूद्ध अंकित पाया गया। इस कांड की वादिनी सत्या उरांव भी किस्को थाना के कांड में अभियुक्त है क्योंकि इसी सत्या उरांव के द्वारा मृतका फूलमनी नागेशिया को बहला फुसला कर दिल्ली ले जाया गया तथा श्री एस.के. कन्सलटेंट एवं ब्यूरों के संचालक संतोष चौधरी के हाथों बेच दिया गया। प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा शारदा आहूजा के परिवार में आया का काम कराने हेतु भेजा गया था जहां मृतका द्वारा आत्महत्या कर लिए जाने की बात आई है। किस्को थाना कांड सं. 50/13 अनुसंधान में (1) वती उरांव उर्फ सत्या उरांव (2) संतोष चौधरी (3) शारदा अहुजा एवं (4) अनिल आहुजा के विरूद्ध सत्य पाया गया है तथा इस कांड में सत्या उर्फ वती उरांव एवं संतोष चौधरी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है तथा अन्य अभियुक्तों के विरूद्ध कार्रवाई हेतु संबंधित पुलिस अधीक्षक लोहरदगा को निर्देश दिया जा रहा है। गाजियाबाद के जिला दण्डाधिकारी से बिना अधिकृत पत्र प्राप्त किये अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी उपस्थित हुए। अपर पुलिस अधीक्षक (अपराध) वरीय पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद प्राधिकृत रूप से सम्मिलित हुए।

माननीय अध्यक्ष ने अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, गाजियाबाद को आयोग की धाराओं और कार्यक्षेत्र की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया और कहा कि क्या एसडीएम आयोग द्वारा लिए गए निर्णय का पालन कर पायेंगे, यह एक गंभीर प्रकरण है जिसमें किसी नीतिगत कार्यविधि की जरूरत है। इस मामले में जिला दण्डाधिकारी, गाजियाबाद को स्वयं को आना चाहिए था यदि नहीं तो नई तिथि हेतु आयोग से अनुरोध करना चाहिए था। माननीय अध्यक्ष ने जिला दण्डाधिकारी को आयोग में उपस्थित नहीं होने पर विरोध दर्शाया और कहा कि इस

डा. रामेश्वर उरांव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली

चर्चा के निदेश के अनुपालन में एडीएम प्राधिकृत न होने से कोई भी उठाये गये बिन्दु का समाधान नहीं हो पायेगा।

अपर पुलिस अधीक्षक (अपराध) गाजियाबाद ने अपने पत्र सं. ज–516 / 13 दिनांक 17. 10.2013 आयोग को प्रस्तुत करते हुए मामले में की गयी कार्रवाई से अवगत कराया कि संबंधित घटना की जांच क्षेत्राधिकारी नगर–तृतीय, गाजियाबाद द्वारा करवायी गयी जिससे स्पष्ट हुआ कि श्री अनिल आहुजा आवास सं. ए72, कौसाम्बी, गाजियाबाद ने दिनांक 19.06. 2013 को रात्रि समय 8–9 बजे फोन द्वारा चौकी प्रभारी, कौसाम्बी थाना इन्द्रापुरम, गाजियाबाद को उसके घर की नौकरानी कुमारी फूलमनी उम्र 18 वर्ष द्वारा दुपटे से फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की सूचना दी। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक द्वारा प्लेसमेंट एजेंसी के श्री संतोष कुमार से संपर्क किया गया जिस पर श्री संतोष कुमार व मृतका फूलमनी की बुआ श्रीमती सत्या देवी आए। श्री संतोष कुमार द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी उसके द्वारा पंचायतनामा भरकर दिनांक 20.06.2013 को शव का पोस्टमार्टम करवाया गया और पोस्टमार्टम शव को मृतका फलमनी की बुआ सत्यादेवी व श्री संतोष कुमार को सुपर्द कर दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मृतका की मृत्यु फांसी लगाकर होना स्पष्ट हुआ। दिनांक 15.07.2013 को मृतका की बुआ श्रीमती सत्यादेवी ने थाना इन्द्रापुरम पर मु.आ.सं. 1381 / 13 धारा 306 व 3(1)10 एससीएसटी बनाम शारदा आहुजा पंजीकृत करवाया गया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में मृतका फूलमनी की मृत्यु की सूचना इनके माता–पिता को दिए जाने में थोड़ी लापरवाही संबंधित उप निरीक्षक द्वारा बरती गयी है फिर भी पुलिस द्वारा मृतका के शव को उसकी बुआ श्रीमती सत्यादेवी को सुपर्द कर दिया गया जिसका उनके द्वारा विधिवत संस्कार कर दिया गया।

जानकारी के पश्चात अध्यक्ष महोदय ने इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस को निम्नलिखित बिन्दुओं अनुसार रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करने की सलाह दी:–

डा. रामेश्वर उरांव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली

1. रोजनामचा के आधार पर मृतक का पोस्टमार्टम किस प्रक्रिया के आधार पर किया जाता है?

2. मृतका की वास्तविक उम्र के सत्यापन उसके परिजन एवं अड़ोस–पड़ोस तथा सरकारी दस्तावेज के अनुसार किया जाए।

3. मृतका की मृत्यु की सूचना समय पर उनके माता–पिता को नहीं पहुचाने के लिए जांच अधिकारी से रिपोर्ट मांगी जाए।

4. प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाए।

5. अप्राकृतिक मृत्यु के कारण की विस्तृत जानकारी।

6. मृतका के कांड में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराओं का समयावधि तथा देरी में पंजीकृत किए जाने की रिपोर्ट।

7. मृतका का पंचनामा मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं होना।

8. मृतका के नियोजक श्री अनिल आहुजा द्वारा उनको समय पर तनख्वाह नहीं दिया जाना।

9. मृतका पर रेप से संबंधित धारा का नहीं लगाना एवं जांच में इसकी पुष्टि करना।

10. मृतका का दाह संस्कार किन परिस्थितियों में किया गया जबकि लडकी ईसाई धर्म से संबंध रखती है क्या उन्हें दफनाया नहीं जाना चाहिए था?

11. मृतका के परिवार को किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं देना।

12. मृतका की माता को झारखण्ड से सरकारी खर्च पर गाजियाबाद लाकर आवश्यक पूछताछ करने की आवश्यकता क्यों नहीं समझी।

13. मृतका के माता–पिता को मुआवजा के अलावा बाल संरक्षण एक्ट के तहत 20,000/– रू. राशि का भुगतान यथाशीघ्र क्यों नहीं दिया गया ।

14. मृतका की माता–पिता को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अनुसार मुआवजा राशि का भुगतान करने की कार्रवाई।

डा. रामेश्वर उरांव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली

15. इस मामले को गंभीरता से नहीं लेने के संबंध में अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए।

16. ऐसे मामलों में प्लेसमेंट एजेंसियों के साथ कानूनी कार्रवाई के प्रावधान निश्चित किए जाए कि जब भी प्रदेश से बाहर किसी व्यक्ति /स्त्री/लड़की को कार्य/रोजगार की तलाश में बुलाया जाए तो संबंधित पुलिस को उसकी सूचना दी जानी चाहिए।

17. समय पर अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाए।

18. एमपीडब्लयू निकाले गये तो एक महीना उपरान्त कुर्की/जब्ती. होना चाहिए।

19. बलात्कार की पुष्टि हेतु कौन–सी जांच की गयी।

20. यूडी केश नहीं किया गया है। बिना एफआईआर के पोस्टमार्टम हो गया।

डा. रामेश्वर उरांव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली